संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
छठवीं मंजिल सतपुडा भवन भोपाल
दूरभाष कमांक 0755–'2551719, 2550186
ई–मेल **Email Id dme12001@yahoo.com**

संयुक्त राज्य स्तरीय एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 काउंसिलिंग कार्यकम नीट–यू0जी0 2016

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई.ए. डब्ल्यू पी 76/2015 में पारित आदेश दिनांक 03/10/2016 के परिपालन में शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा (तृतीय चरण) एवं निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा की (द्वितीय चरण) की काउंसिलिंग दिनांक 04/10/2016 से दिनांक 07/10/2016 तक एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से कराई जाएगी।

इस चरण में भाग लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र प्रत्येक अभ्यर्थी को फेश च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है। जिसके बिना किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन अथवा अपग्रेडेशन नही हो सकेगा।

काउसिलिंग के इस चरण का विस्तृत कार्यकम निम्नानुसार है :–

कमांक	कार्यकम	दिनांक	दिवस
1	च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग 1. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित है यदि अपग्रेडेशन चाहते है तो उन्हें फेश च्वाईस फिलिंग एवं लोकिंग करना अनिवार्य है। 2. सभी एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग के चरणों में सीट आवंटन नहीं हुआ उन्हें फेश च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। 3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग के चरणों में सीट का आवंटन हुआ था परन्तु उनके द्वारा उस आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया, ऐसे अभ्यर्थियों	04.10.2016 को प्रातः 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक	01 दिवस

	को भी फ्रेश च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है। 4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें प्रवेशित संस्था में अपने मूल दस्तावेज एवं फीस जमा कर दी है परन्तु उनका किसी कारणवश कम्प्यूटराईज ऑनलाईन प्रवेश पत्र **(admission slip)** जारी नहीं हुआ है उनको अप्रवेशित माना गया है। अतः उन्हें भी फ्रेश च्वाईस फिलिंग करना अनिवार्य है।		
2	अलॉटमेंट प्रकिया एवं आलॉटमेंट परिणाम	04.10.2016 को सायं 8:00 बजे से दिनांक 05.10.2016 से प्रातः 8:00 बजे तक	12 घंटे
3	केन्द्रीयकृत मूल दस्तावेजों की स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रकिया, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में	05.10.2016 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 06. 10.2016 तक	02 दिवस

<u>इस चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निम्न अभ्यर्थी पात्र होगे :–</u>

अ) एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में सीट आवंटित हुई थी परन्तु उन्होने उस आवंटित सीट पर प्रवेश नही लिया था।

ब) एम0पी0 आनलाईन मे रजिस्टर्ड ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नही हुई थी।

स) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे पूर्व के चरणों की कांउसिलिंग में शासकीय/निजी महाविद्यालय में सीट आवंटित हुई थी एवं उनके द्वारा अपग्रेडेशन का विकल्प दिया गया है।

द) निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की अनारक्षित श्रेणी की सीटों के आवंटन के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने की बाध्यता नही है।

<u>इस चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निम्न अभ्यर्थी अपात्र होगे :–</u>

अ) एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित एवं सेटिसफाईड (**satisfied**) अभ्यर्थी।

ब) एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित परन्तु फ्रेश च्वाईस फिलिंग न करने वाले अभ्यर्थी।

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उन्हीं सीटों की च्वाईस फिलिंग भरें जिस पर वह प्रवेश लेने के इच्छुक है। आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
2. पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश के समय जिन अभ्यर्थीयो ने सेटिसफाईड (**satisfied**) का ऑप्शन दिया था उनकी प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।
3. ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होनें अपग्रेडेशन के लिए फ्रेश च्वाईस फिलिंग नहीं की है उनकी पूर्व प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।
4. ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन के लिए फ्रेश च्वाईस फिलिंग करते हैं अपग्रेडेशन में चाही गई सीट यदि इस काउंसलिग प्रकिया में नहीं मिलती है, तो उनकी पूर्व प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।

रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की ऑफ लाईन प्रकियाः–

इस चरण के उपरान्त यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो इन सीटों पर आवंटन एवं प्रवेश की प्रकिया ऑफलाईन की जाएगी।

ऐसे सभी एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड पात्र इच्छुक अभ्यर्थी जो इन सीटों पर प्रवेश लेना चाहते है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 07/10/2016 को आवश्यक रूप से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में उपस्थित रहें।

3.10.16

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश